07.04.2022	अपीलांट/प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा अपील को प्रस्तुत करने में देरी होना बताया गया है जो सद्भावनापूर्ण पाया जाता है। अतः अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को प्रस्तुत होने में हुई विलम्ब की अवधि को कण्डोन करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:28:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner